

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(48)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 01.02.2022


श्री विकास कुमार पुत्र श्री तुलाराम
C/o Mrs. Rajbala Devi
Prakash Nagar (Opp. Beena Prakash Hospital)
Panchwati Colony, Civil Lines
Bijnor, Uttar Pradesh-246701

विषय:—कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण काल अवधि में विस्तार देने के संबंध में।

संदर्भ:— आपका पत्र दिनांक 04.01.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त इस विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2021 द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रशिक्षण (आई.टी.आई.) जोधपुर में पदस्थापित किया गया, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है। आपने आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2021 द्वारा कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 90 दिवस की अवधि के लिए कार्यग्रहण की समयावधि बढ़ाने का आग्रह किया है, परन्तु कार्यग्रहण की समयावधि नहीं बढ़ाई जा सकती है।

अतः आपके आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2021 के क्रम में आपको अन्तिम अवसर देते हुए 7 दिवस के भीतर-भीतर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह मान लिया जाएगा कि आप नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और आपकी नियुक्ति आज्ञा को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव